झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

तृतीय झारखण्ड विधान सभा — नवम् सत्र (मानसून)

संख्या-03 — मंगलवार दिनांक-4 सितम्बर, 2012 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.17 बजे अप० तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

क. माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही विभिन्न माँगों को लेकर भारी शोरगुल होने लगा। आसन से बार-बार आग्रह किया गया कि सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठ जायें तत्पश्चात् सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठ गये।

ख. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव, श्री बिनोद कुमार सिंह एवं श्री सौरभ नारायण सिंह द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने सम्बन्धी सूचना से सदन को अवगत कराया गया।

2. प्रश्नकाल:-

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- अ० सू०- 17 पुकारा गया जिसे प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामचन्द्र बैठा द्वारा पूछा गया लेकिन, शोरगुल के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति कतिपय माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह से ही विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग करने लगे।

(शोरगुल)

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने आग्रह किया कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय अपने अधिकार के तहत बहस करायें। इसपर आसन द्वारा ऐसे विषयों को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में रखे जाने का सुझाव दिया गया।

(शोरगुल)

पुनः अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.30 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया, लेकिन पूर्व की भाँति शोरगुल जारी रहा। इस बीच शून्यकाल के लिये माननीय सदस्यों को आसन से पुकारा गया, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका।

पुनः अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल के बाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया, लेकिन पूर्व की भाँति सदन में शोरगुल व्याप्त रहा। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 3.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर पूर्व की भाँति कतिपय माननीय सदस्य पारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शोरगुल करते हुए सदन की वेल में आ गये)

3. वित्तीय कार्य :

माननीय मंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग'' से सम्बन्धित मांग पेश की गयी जो सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

उपर्युक्त माँग पर हुई चर्चा के आलोक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित शेष विभागों की माँगों को बारी-बारी से स्वीकृति हेतु सभा के समक्ष रखा गया जो मुखबंद (गिलोटिन) द्वारा स्वीकृत हुआ।

4. विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड विनियोग (संख्या-3)विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2, अनुसूची, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-3)विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012:-

माननीय मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, श्री चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 11, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री गोपाल कृष्ण पातर द्वारा "झारखण्ड देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली, 2004, झारखण्ड मसालेदार देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली,2004, झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 एवं झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम नियमावली, 2011" की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक- 05.09.2012 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 04 सितम्बर, 2012 ई०।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा ।